

कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०
संख्या-10/08/ई-2/2025-26
प्रयागराज: दिनांक 12 मार्च, 2026

विज्ञापित

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या ए-8/ई-1/2025 दिनांक 16-09-2025 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रा०) परीक्षा-2025 का आयोजन दिनांक 22 मार्च, 2026 (रविवार) को एक सत्र में (पूर्वाह्न 09:30 बजे से 11:30 बजे तक) प्रदेश के 08 जनपदों यथा- अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज एवं वाराणसी में आयोजित की जानी है।

02-प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने ओटीआर नम्बर के द्वारा प्रवेश-पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश-पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आईडीप्रूफ की मूल एवं छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा कक्ष में अन्तरीक्षक को आईडीप्रूफ की एक छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।

03- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि "परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिकरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।"

(हर्ष देव पाण्डेय)
परीक्षा नियंत्रक।